

कार्यालय-अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2018, लखनऊ, दिनांक: 24 :: अगस्त-2018

--: आदेश:-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह अक्टूबर-2018 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क्र०सं	बैठने का स्थान	कार्य आवंटन	कार्य- अवधि
1	पीठ-1, आगरा	पीठ-1 व 2 आगरा	3.10.18 से 6.10.18
2	पीठ- बरेली	पीठ- बरेली	8.10.18 से 12.10.18
3	पीठ-1, गाजियाबाद	पीठ-1 व 2 गाजियाबाद	3.10.18 से 6.10.18
4	पीठ- झांसी	पीठ- झांसी	8.10.18 से 12.10.18
5	पीठ-1, कानपुर	पीठ-1, 2, 3 व 4 कानपुर	8.10.18 से 12.10.18
6	पीठ-1, लखनऊ	पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ	22.10.18 से 26.10.18
7	पीठ-1, मेरठ	पीठ-1 व 2 मेरठ	22.10.18 से 26.10.18
8	पीठ-1, नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा	8.10.18 से 12.10.18
9	पीठ- 1, वाराणसी	पीठ-1, 2, 3, 4, 5 व 6 वाराणसी	22.10.18 से 26.10.18
10	पीठ - सहारनपुर	पीठ- सहारनपुर	29.10.18 से 31.10.18

ह0-24.8.18

(विकार अहमद अन्सारी)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/1816/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सम्बन्धित सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण।
- 2-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 3-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर/नाजिर) मुख्यालय।
- 4-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष सहोदय की आज्ञा से,

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।